inland waterways or sea; (c) "multimodal transporter" means a person who,- (A) enters into a contract under which he undertakes to perform multimodal transportation against freight; and (B) acts as principal, and not as an agent either of the consignor, or consignee or of the carrier participating in the multimodal transportation and who assumes responsibility for the performance of the said contract.		
(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) above.	9	-";

(iii) for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"22	**Heading 9984** (Telecommunications, broadcasting and information supply services)	(i) Supply consisting only of e-book. *Explanation.*- For the purposes of this notification, "e-books" means an electronic version of a printed book (falling under tariff item 4901 in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)) supplied online which can be read on a computer or a hand held device.	2.5	-
		(ii) Telecommunications, broadcasting and information supply services other than (i) above.	9	-".

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 1/2018-Central Tax (Rate), dated the 25thJanuary, 2018 *vide* number G.S.R. 64(E), dated the 25th January, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. 14/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का. नि. 678(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार परिषद् की सिफारिश पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा सा.का.नि. संख्या 691(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 12/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) तालिका में, -

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" का लोप किया जाएगा;

(ख) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (3) में, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) क्रम संख्या 9ग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9घ	अध्याय 99	प्रति सदस्य प्रति माह पच्चीस हजार रुपए तक विचारण जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग और रखरखाव के लिए विचारण प्रभार सम्मिलित है, के प्रति अपने निवासियों (60 वर्ष या उससे अधिक आयु) को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत किसी हस्ती द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रम द्वारा सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं ";

(घ) क्रम संख्या 10 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10क	शीर्षक 9954	कृषि उपयोग हेतु किसान या कृषिविद के ट्यूब वेल तक बिजली वितरण नेटवर्क को विस्तारित किए जाने हेतु निर्माण, परिनिर्माण, कमीशनिंग, या बुनियादी ढांचे की स्थापना के द्वारा बिजली वितरण उपयोगिता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ङ) क्रम संख्या 14 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में, "घोषित टैरिफ" शब्दों के स्थान पर "आपूर्ति मूल्य" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 19क के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(छ) क्रम संख्या 19ख के समक्ष, कॉलम (5) में प्रविष्टि में, संख्या "2018" के लिए, संख्या "2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ज) क्रम संख्या 24 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24क	शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985	लघु वन उत्पादन के भण्डारण के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(झ) संख्या 31 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31क	शीर्षम 9971 या शीर्षक 9991	कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा शासित व्यक्तियोंको कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
31ख	शीर्षक 9971 or शीर्षक 9991	प्रशासनिक शुल्क के रूप में विचारण के प्रति अपने सदस्यों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) द्वारा सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ञ) क्रम संख्या 34 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34A	शीर्षक 9971	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उनके उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को, ऐसे उपक्रमों या पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से उठाए गए ऋणों की गारंटी के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ट) क्रम संख्या 36क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि में संख्या "36" के पश्चात् "या 40" शब्द और संख्या का समावेश किया जाएगा:—

(ठ) क्रम संख्या 47 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"47क	शीर्षक 9983 या शीर्षक 9991	खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंसिंग, पंजीकरण और खाद्य नमूनों की विश्लेषण या परीक्षण के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ङ) क्रम संख्या 55 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"55क	शीर्षक 9986	पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान (घोड़ों के अलावा) के माध्यम से सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(ढ) क्रम संख्या 65क और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65ख	शीर्षक 9991 या कोई अन्य शीर्षक	ऐक्सेस रॉयल्टी संग्रह ठेकेदार (ईआरसीसी) को किसी राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा धारको से रॉयल्टी एकत्र किए जाने का अधिकार सौंपने के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं। **स्पष्टीकरण.-** "खनन पट्टा धारको" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हे खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 (ग) या उसके अंतर्गत बने नियमो या राज्य सरकार द्वारा खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15(1) के अन्तःगत बनाये गए नियमो के अंतर्गत खनन पट्टा, खदान पट्टा या लाइसेंस या अन्य खनिज कन्सेशन दिया गया हो।	शून्य	बशर्ते कि ठेका अवधि की समाप्ति पर, ईआरसीसी राज्य सरकार को एक खाता प्रस्तुत करेगा और प्रमाणित करेगा कि रॉयल्टी पर खनिकों द्वारा जमा जीएसटी की राशि रॉयल्टी एकत्र किए जाने के अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर छूट दी गई जीएसटी से अधिक है और जहां खनिकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की ऐसी राशि छूट दी गई राशि से कम है, तो छूट ऐसी धनराशि तक सीमित होगी जो खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी की राशि के बराबर हो और जीएसटी रॉयल्टी पर खनन पट्टाधारकों द्वारा भुगतान की गई जीएसटी और रॉयल्टी एकत्रीकरण-अधिकार के समनुदेशन की सेवा पर दी गई जीएसटी छूट के बीच अंतर का ईआरसीसी द्वारा भुगतान किया जाएगा।"

(ण) क्रम संख्या 77 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"77A	शीर्षक 9995	निम्नलिखित में लगे हुए, इस समय प्रभावी किसी कानून के अंतर्गत किसी अनिर्धारित निकाय या किसी गैर-लाभकारी संस्था	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

		द्वारा प्रदत्त सेवाएं,- (i) औद्योगिक या कृषि श्रमिक या किसान के कल्याण से संबंधित गतिविधियां; या (ii) व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति, खेल, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, धर्मार्थ गतिविधियों और पर्यावरण की सुरक्षा का प्रोन्नयन, प्रति वर्ष प्रति सदस्य एक हजार रुपये (1000/-रु.) की राशि तक सदस्यता शुल्क के रूप में विचारण के खिलाफ अपने सदस्यों हेतु ।		

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में, खण्ड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iv) शंकाओं के निवारण हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक बोर्डों द्वारा छात्रों को परीक्षा आयोजित किए जाने के माध्यम से प्रदान किए जाने वाली सेवाओं के सीमित उद्देश्य हेतु केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक बोर्डों को शैक्षिक संस्थान के रूप में माना जाएगा ।"।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/13/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 691 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत अधिसूचना सं. 12/2017 – केन्द्रीय कर(दर), दिनांक 28 जून, 2017 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई और सा.का.नि. संख्या 65(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत अधिसूचना संख्या 2/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 द्वारा इसमें अंतिम संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2018

No. 14/2018-Central Tax (Rate)

G.S.R. 678(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -
(i) in the Table, -

(a) against serial number 4, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union Territory, local authority or" shall be omitted;

(b) against serial number 5, in the entry in column (3), the words "Central Government, State Government, Union Territory, local authority or" shall be omitted;

(c) after serial number 9C and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"9D	Chapter 99	Services by an old age home run by Central Government, State Government or by an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to its residents (aged 60 years or more) against consideration upto twenty-five thousand rupees per month per member, provided that the consideration charged is inclusive of charges for boarding, lodging and maintenance.	Nil	Nil";

(d) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10A	Heading 9954	Services supplied by electricity distribution utilities by way of construction, erection, commissioning, or installation of infrastructure for extending electricity distribution network up to the tube well of the farmer or agriculturalist for agricultural use.	Nil	Nil";

(e) against serial number 14, in the entry in column (3), for the words "declared tariff", the words "value of supply" shall be substituted;

(f) against serial number 19A, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;

(g) against serial number 19B, in the entry in column (5), for the figures "2018", the figures "2019" shall be substituted;

(h) after serial number 24 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24A	Heading 9967 or Heading 9985	Services by way of warehousing of minor forest produce.	Nil	Nil";

(i) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	Heading 9971 or Heading 9991	Services by Coal Mines Provident Fund Organisation to persons governed by the Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (46 of 1948).	Nil	Nil
31B	Heading 9971 or Heading 9991	Services by National Pension System (NPS) Trust to its members against consideration in the form of administrative fee.	Nil	Nil";

(j) after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"34A	Heading 9971	Services supplied by Central Government, State Government, Union Territory to their undertakings or Public Sector Undertakings(PSUs) by way of guaranteeing the loans taken by such undertakings or PSUs from the financial institutions.	Nil	Nil";

(k) against serial number 36A, in the entry in column (3), after figures "36", the word and figures "or 40" shall be inserted;

(l) after serial number 47 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"47A	Heading 9983 or Heading 9991	Services by way of licensing, registration and analysis or testing of food samples supplied by the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) to Food Business Operators.	Nil	Nil";

(m) after serial number 55 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"55A	Heading 9986	Services by way of artificial insemination of livestock (other than horses).	Nil	Nil";

(n) after serial number 65A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"65B	Heading 9991 or any other Heading	Services supplied by a State Government to Excess Royalty Collection Contractor (ERCC) by way of assigning the right to collect royalty on behalf of the State Government on the mineral dispatched by the mining lease holders. ***Explanation.-*** "mining lease holder" means a person who has been granted mining lease, quarry lease or license or other mineral concession under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the rules made thereunder or the rules made by a State Government under sub-section (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957.	Nil	Provided that at the end of the contract period, ERCC shall submit an account to the State Government and certify that the amount of goods and services tax deposited by mining lease holders on royalty is more than the goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the ERCC of assignment of right to collect royalty and where such amount of goods and services tax paid by mining lease holders is less than the amount of goods and services tax exempted, the exemption shall be restricted to such amount as is equal to the amount of goods and services tax paid by the mining lease holders and the ERCC shall pay the difference between goods and services tax exempted on the service provided by State Government to the

				ERCC of assignment of right to collect royalty and goods and services tax paid by the mining lease holders on royalty.”;

(o) after serial number 77 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“77A	Heading 9995	Services provided by an unincorporated body or a non-profit entity registered under any law for the time being in force, engaged in,- (i) activities relating to the welfare of industrial or agricultural labour or farmers; or (ii) promotion of trade, commerce, industry, agriculture, art, science, literature, culture, sports, education, social welfare, charitable activities and protection of environment, to its own members against consideration in the form of membership fee upto an amount of one thousand rupees (Rs 1000/-) per member per year.	Nil	Nil”;

(ii) in paragraph 3, in the Explanation, after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—
“(iv) For removal of doubts, it is clarified that the Central and State Educational Boards shall be treated as Educational Institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of examination to the students.”.

2. This notification shall come into force with effect from 27th of July, 2018.

[F. No. 354/13/2018-TRU]
GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 12/2017 - Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28thJune, 2017 and was last amended by notification No. 2/2018 - Central Tax (Rate), dated the 25th January, 2018 *vide* number G.S.R. 65(E), dated the 25th January, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2018

सं. 15/2018-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का. नि. 679(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 692 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -